



डार्क पैटर्न से बचाव हेतु CCPA के दशा-नरिदेश

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

भारत के शीर्ष उपभोक्ता नगिरानी संगठन, **केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA)** ने हाल ही में **डार्क पैटर्न की रोकथाम और वनियमन, 2023** के लिये दशा-नरिदेश अधिसूचि किये हैं।

- **उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019** के तहत जारी किये गए ये दशा-नरिदेश उपभोक्ताओं को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द्वारा नयिोजति भ्रामक प्रथाओं से बचाने के लिये डज़ाइन किये गए हैं।

डार्क पैटर्न क्या हैं?

- डार्क पैटर्न, जसि भ्रामक पैटर्न के रूप में भी जाना जाता है, **वेबसाइट्स और एप्स द्वारा उपयोगकर्त्ताओं को ऐसे कार्य करने के लिये नयिोजति रणनीतियों को संदर्भित करता है जो उनका इरादा नहीं है या उन व्यवहारों को हतोत्साहित करता है जो कंपनियों के लिये फ़ायदेमंद नहीं हैं।**
- ये पैटर्न प्रायः **संज्ञानात्मक पूर्वाग्रहों** का फ़ायदा उठाते हैं और झूठी तात्कालिकता, ज़बरन कार्रवाई, छपी हुई लागत आदि जैसी रणनीति अपनाते हैं।

डार्क पैटर्न की रोकथाम तथा वनियमन हेतु प्रमुख दशा-नरिदेश क्या हैं?

- ये दशा-नरिदेश उपयोगकर्त्ताओं को भ्रमति करने अथवा वविश करने के लिये **डार्क पैटर्न** के उपयोग पर रोक लगाते हैं।
- ये दशा-नरिदेश संस्थाओं से बकिरी बढ़ाने तथा उपयोगकर्त्ताओं को बनाए रखने के लिये नैतिक व उपभोक्ता-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने का आग्रह करते हैं।
- डार्क पैटर्न के संबंध में ये दशा-नरिदेश वजिज़ापनदाताओं तथा वकिरेताओं सहित भारत में वस्तुओं एवं सेवाओं को प्रस्तुत करने वाले सभी प्लेटफॉर्मों पर लागू होते हैं।
 - ई-कॉमर्स हतिधारक, वेबसाइट तथा एप्स इन दशा-नरिदेशों द्वारा स्थापित नयिमक ढाँचे के अधीन हैं।
- CCPA ने अपनी अधिसूचना में 13 प्रकार के डार्क पैटर्न को रेखांकित किया है जो नमिनलखित हैं:
 - **झूठी अत्यावश्यकता:** इसका अर्थ है तात्काल खरीदारी हेतु प्रेरति करने के लिये तात्कालिकता या कमी की गलत धारणा पैदा करना अथवा संकेत देना ताकि उपयोगकर्त्ता को तात्काल खरीदारी करने अथवा तात्काल कार्रवाई करने के लिये गुमराह किया जा सके।
 - **बासकेट स्नीकगि:** उपयोगकर्त्ता की सहमति के बनिा चेकआउट के समय शॉपिंग कार्ट में अतरिकित उत्पाद शामिल करना, जसिके परिणामस्वरूप अधिक भुगतान प्राप्त किया जा सके।
 - **कन्फ़र्म शैमगि:** व्यावसायिक लाभ के लिये उपयोगकर्त्ताओं को वशिषिट कार्यों के लिये प्रेरति करने हेतु डर अथवा शर्म की भावना उत्पन्न करना।
 - **ज़बरन कार्रवाई:** उपयोगकर्त्ताओं को अतरिकित खरीदारी अथवा व्यक्तगित जानकारी साज़ा करने जैसी आवश्यक कार्रवाई के लिये वविश करना।
 - **सदस्यता जाल:** रददीकरण को जटलि बनाना, वकिलपों को छपाना या मुफ़्त सदस्यता के लिये भुगतान वविरण को बाध्य करना।
 - **इंटरफ़ेस हस्तक्षेप:** उपयोगकर्त्ताओं को इच्छति कार्यों से गुमराह करने के लिये कर्त्ताउपयोगकर्त्ता इंटरफ़ेस में हेर-फेर करना।
 - **प्रलोभन और युक्तति:** एक नशिचति उत्पाद या सेवा का वजिज़ापन देकर प्रायः नमिन गुणवत्ता वाले उत्पाद का वतिरण करना।
 - **डरपि मूल्य नरिधारण:** कीमतों छुपाना, पुष्टा के बाद उन्हें प्रकट करना या अतरिकित वस्तु खरीदे जाने तक सेवा के उपयोग को रोकना।
 - **छदम वजिज़ापन:** उपयोगकर्त्ताओं को आकर्षति व प्रेरति करने हेतु वजिज़ापनों को अनय सामग्री के रूप में प्रस्तुत करना।
 - **परेशान करना:** व्यावसायिक लाभ के लिये उपयोगकर्त्ताओं को बाधति और परेशान करने वाली बातचीत में उलझाना।
 - **ट्रकि प्रश्न:** उपयोगकर्त्ताओं को गुमराह करने के लिये जान-बूझकर भ्रमति करने वाली भाषा का उपयोग।
 - **सास बलिगि:** एक सेवा के रूप में सॉफ्टवेयर (SaaS) मॉडल में आवर्ती भुगतान उत्पन्न करना।
 - **दुषट मैलवेयर:** नकली मैलवेयर हटाने वाले टूल के भुगतान के लिये उपयोगकर्त्ताओं को गुमराह करने हेतु रैनसमवेयर और स्केयरवेयर का उपयोग करना।

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) क्या है?

- [उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019](#) के तहत स्थापित CCPA, उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा और बचाव करता है, उपभोक्ता अधिकारों के प्रभावी प्रवर्तन एवं वृद्धि के लिये दिशा-निर्देश जारी करता है।
- CCPA का उद्देश्य **एक वर्ग के रूप में उपभोक्ताओं के अधिकारों को बढ़ावा देना, उनकी सुरक्षा और लागू करना है।**
- इसे उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन की जाँच करने, शिकायत/मुकदमा चलाने, असुरक्षित वस्तुओं और सेवाओं को वापस लेने का आदेश देने, अनुचित व्यापार प्रथाओं एवं भ्रामक वजिजापनों को बंद करने का आदेश देने, भ्रामक वजिजापनों के निर्माताओं/समर्थकों/प्रकाशकों पर जुर्माना लगाने का अधिकार होगा।

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/ccpa-issues-guidelines-safeguarding-against-dark-patterns>

